

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
1-A, CANNING LANE, K.G MARG, NEW DELHI  
(CHILD PROTECTION UNIT)

F.61(1158)/ Vidhan Sabha Q. 156/DO(CPU)/DWCD/2018 55949-951 dated

27 MAR 2018

To,

The Dy. Secretary (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha,  
Old Secretariat, Delhi-110054

Subject: Regarding reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 156 (raised by Shri Ajesh Yadav).

Sir,

Please find enclosed 100 Copies of reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 156 raised by Sh. Ajesh Yadav, for further necessary action at your end. The reply has been approved by the competent authority.

Encl: As above

  
Dr. Nisha Agrawal  
Dy. Director (CPU)

F.61(1158)/ Vidhan Sabha Q. 156/DD(CPU)/DWCD/2018

dated  
55949-951

27 MAR 2018

Copy to:

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM/Minister WCD
2. The Director (DIP) with set of copies

  
Dr. Nisha Agrawal  
Dy. Director (CPU)

विभाग का नाम :-दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग

विभाग का पता :-पांचवा तल,अन्तरराज्य बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

F.61(1158)/ Vidhan Sabha Q. 156/DD(CPU)/DWCD/2018

dated

तारांकित प्रश्न संख्या:-156

दिनांक:-28.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री अजेश यादव

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) सभी स्कुलो का मूल्यांकन करने के विषय में विचार कर रहा है:	जी हाँ
(ख) क्या यह निर्णय आरटीई सलाहकार परिषद् के स्तर पर लिया जाता है;	जी हाँ, 01 नवम्बर 2017 की आरटीई सलाहकार परिषद् की उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया की डीसीपीसीआर सभी विद्यालयों का मूल्यांकन करेगा !
(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का, स्कुलो के मूल्यांकन के मानदंड सहित, पूर्ण विवरण क्या है;और	मूल्यांकन मापदंडों एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए सम्बंधित एजेन्सी यथा शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार, तीनो नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका एवं दिल्ली कॅटोन्मेंट बोर्ड से विचार विमर्श किया जा रहा है।
(घ) स्कुलो के मूल्यांकन की कवायद की क्या समय सीमा है ?	दिल्ली सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सात मास में मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

उपनिदेशक  
(बाल संरक्षण इकाई)